न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 01/2008

सरकार जरिये पुलिस अधिक्षक, जी.आर.पी., अजमेर जिला अजमेर। ..... *प्रार्थी*

बनाम

श्री युसुफ उर्फ रफीक उर्फ मिथुन पुत्र अजमेरी खा कौम शेख मुसलमान उम्र 29 वर्ष निवासी मस्जिद के पास विजयनगर थाना विजयनगर, अजमेर। ..... गैरसायल

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 (6) राजस्थान अभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1953

उपस्थितः— 1 लोक अभियोजक पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक — 17.01.2018**

पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. अजमेर द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(6) राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 में बखिलाफ गैरसायल के इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वह हाल खानाबदोश है। वर्तमान में अपने मशकन से रूहपोश रहकर रेल्वे स्टेशनों पर एवं ट्रेनों में घुमता रहता है। गैर सायल आले दर्जे का जबतराश एवं सर्का की वारदातों में सक्रिय होकर अजमेर, आबूरोड, एवं अन्य रेल्वे स्टेशनों एवं यात्री ट्रेनों में अपराध करने एवं यात्रियों का सामान, अटैची, इत्यादि की चोरी करने का अभयस्त है। इसका स्वतंत्र विचरण लोकहित में नहीं है। गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2002 से 2007 तक तीन प्रकरण जीआरपी थाना अजमेर, आबुरोड, मारवाड ज. में दर्ज होकर न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम सा. रेल्वे कोर्ट जोधपुर एवं अजमेर में चालान पेश किये गये। जिसमें न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात अभियुक्त को सिद्धदोष ठहरा कर कारावास की सजा से दण्डित किया। आदेश की पालना में अपराधी ने केन्द्रीय कारागृह जोधपुर एवं अजमेर में विधिअनुसार सजा भुगती है। गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण सं0 97/04 अभि0 सं0 05/04 धारा 379 भादस जीआरपी थाना जोधपुर में चार्जशीट संख्या 02/04 में दिनांक 12.02.2004 को न्यायालय एसीजेएम रेल्वे कोर्ट, अजमेर द्वारा 6 माह का साधारण कारावास व 1000 रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 1069/04 अभि0 संख्या 50/04 धारा 379 आईपीसी में चार्जशीट नं0 42/04 धारा 379/75 आईपीसी में न्यायालय एसीजेएम रेल्वे कोर्ट, जोधपुर द्वारा गैर सायल को 2 साल का साधारण कारावास एवं 1000/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैर सायल के विरूद्ध जीआरपी थाना मारवाड जं0 पर चार्जशीट नं 8/07 379 आईपीसी बाद तफतीश चार्जशीट नं0 7/07 धारा 379, 75 आईपीसी में किता कर दिनांक 30.3.07 को रेल्वे कोर्ट जोधपुर में चालान पेश किया गया। बाद ट्रायल प्रकरण संख्या 841/07 में दिनांक 16.7.2007 को गैरसायल को 5 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3/6 के अन्तर्गत लोक हित हेतु अधिकतम अवधि यथा तीन वर्ष तक निर्बन्धित करने तथा समायत सलूक कानूनी फरमावें।

इस्तगाासा पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. अजमेर से प्राप्त होने पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/6 राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया जो अदम तामिल इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि गैर सायल विजयनगर में नहीं है खानबदौस है उसके पारिवारिक सदस्य नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

17/01/18

जिला कलक्टर
अजमेर

है, तथा कोई मकान वगैरह नहीं है। भरसक प्रसास के बावजूद गैरसायल दस्तयाब नहीं हो सका। पुनः जारी नोटिस भी इसी प्रकार की रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुए। तत्पश्चात पुनः जारी नोटिस दिनांक 22.9.2009 तामिल होकर प्राप्त हुआ किन्तु गैर सायल के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर समय–समय पर जारी किये गये जमानती वारण्ट इन रिपोर्टस के साथ प्राप्त हुए कि गैरसायल का कोई घर का मकान या पैतृक सम्पति नहीं है। गैरसायल की भाभी शहनाज एवं बुद्धराज धानका पार्षद वार्ड नं0 19 द्वारा दी गई जानकारी मुताबिक गैर सायल बदमाश, उठाईगिरा, नशेडी किस्म का है, काफी समय से विजयनगर नहीं आने एवं वर्तमान में कहॉ रहता है, जानकारी नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर उपस्थित पैरोकार सरकार (APP) द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हे सुना गया।

उपस्थित पैरोकार सरकार ने मुख्यतः निवेदन किया कि गैरसायल अपने रिहायशी स्थान से रूहपोश रहकर रेल्वे स्टेशन, अजमेर, आबूरोड, मारवाड जं0 एवं अन्य रेल्वे स्टेशनों एवं यात्री ट्रेनों में यात्रियों के जेबें तराशने, यात्रियों के सामान, अटैची, इत्यादि की चोरी करने का अभयस्त है। गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2002 से 2007 तक तीन प्रकरण जीआरपी थाना अजमेर, आबुरोड, मारवाड जं0 में दर्ज होकर न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम सा. रेल्वे कोर्ट जोधपुर एवं अजमेर में चालान पेश किये गये। जिसमें न्यायालय द्वारा ट्रायल के पश्चात अभियुक्त को सिद्धदोष ठहरा कर कारावास की सजा से दण्डित किया। आदेश की पालना में अपराधी ने केन्द्रीय कारागृह जोधपुर एवं अजमेर में विधिअनुसार सजा भुगती है। गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3/6 के अन्तर्गत लोक हित हेतु अधिकतम अवधि यथा तीन वर्ष तक निर्बन्धित करने तथा समायत सलूक कानूनी फरमाया जावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 के प्रावधानों के तहत गैरसायल को अभ्यासिक उपराधी के रूप में घोषित करने के पर्याप्त आधार नहीं होने एवं पैरोकार सरकार (APP) द्वारा अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है। पुलिस अधीक्षक जी0आर0पी0, अजमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे अपने स्तर पर राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) के तहत तीन से अन्यून मामलों में दोषसिद्धि पर किसी कारावास अवधि का मुख्य दण्डादेश दिया गया हो तथा ऐसा दण्डादेश अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं दिया गया हो बाबत मामले की अद्यतन स्थिति (update status) के साथ पुनः परीक्षण कर, प्रकरण अभ्यासित अपराधी अधिनियम के तहत कार्यवाही योग्य पाये जाने पर पुनः पर्याप्त साक्ष्य/दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर